कोरोना संकट में मौलिक कर्तव्य क्यों नदारद हैं ?

संजयभट्ट

आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है। भारत भी उसके ख़िलाफ़एक अहम जंग लड़ रहा है जो किसी भी विश्व युद्ध से कम नहीं है। संकट की इस घड़ी में जहाँ मानवता के अस्तित्व को ख़तरा पैदा हो गया है और अब हम यह सोचने को मजबूर हैं कि देश के नागरिकों में देश के प्रति संवेदनाएंएराष्ट्र.प्रेम और मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार जगाया जाए। इस जंग में कुछ ऐसी भी घटनाएँ सामने आयी हैंए जिससे हम यह सोचने को विवस हो गये हैं कि चिकित्सकीय आपातकाल जैसी स्थिति में आम नागरिकों की भूमिका कैसे तय करेंघ् अब हमें क़ानून की किस प्रकार से मदद लेनी होगीघ् क्योंकि हमारी संवेदनशीलता और देश के प्रति कर्तव्य.परायणता पर प्रश्न चिन्ह लगा गया है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद से ही हम नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को ज्यादा सुनिश्चित करने हेतु ज्यादा प्रयास करते रहे हैं। संविधान में प्रदत्त अनुच्छेदों की भाषा तथा भावना को भलीभाँति कार्यान्वित करने के लिए जी.तो? मेहनत की है। संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तकए समता के अधिकार को आलोकित किया गया है। हमने अनुच्छेद 14 के समानता की ल?ाई को और अनुच्छेद 15 में निहित भेदभाव न करने के अधिकार को भी खूब अपनी सुविधा के हिसाब से संपादित किया है। लेकिन अब यह ज़रूरत है कि अनुच्छेद 51। में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों को भी मौलिक अधिकारों जैसा ही क़ानूनी जामा पहनाया जाये। आज के अनुभव बताते हैं कि स्वेच्छा से पालन न होने वाले कर्तव्यों को पालन करने के लिए क़ानूनी सख्ती की जरूरत है।

आज ताला बंदी इस दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण और फैलाव को रोकने की जागरूकता और सामाजिक दूरी के विभिन्न प्रयासों द्वारा महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जब देश पूरी सिद्दत के साथ अपनी सरकारी और गैर.सरकारी ताकत से महामारी को रोकने में लगा हुआ थाए उस दौरान लखनऊ में कनिका कपूर जैसे पढे.लिखेए नामी.गिरामी लोग की लापरवाही और गैर. ज़िम्मेदाराना व्यवहार तथा दिल्ली में एक विशेष जमात के सदस्यों के द्वारा जो ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया गया हैए उसकी क़ीमत देश का एक बड़ा हिस्सा चुका रहा है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा किए गए हमले एक अस्वस्थ तथा मनोविकार से ग्रसित मानसिकता वाले समाज का परिचय देता है। यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि कोविद .19 वायरस वायरल गति के साथ लार या बलगम के माध्यम से तेजी से फैलता हैए फिर भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूक रहे हैं। ऐसे में हमारे सभी सामाजिक दूरी के प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। तथा कुछ असामाजिक लोग के द्वारा पुलिस ए डाक्टरए नर्सए स्वाथ्य कर्मियों के साथ की गयी अभद्रता तथा अश्लीलता से हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। ऐसी स्थितियों में आज आवश्यकता है कि हम नागरिकों में और आने वाली पीढ़ियों में अनुच्छेद 51 । में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को मूर्त.रूप देने के लिए उपयुक्त विकल्प की तलाश करें।

कुछ समाजवादी विचारधारा के राष्ट्रों को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के अधिकांश राष्ट्रों में मौलिक कर्तव्यों का ज़िक्र मात्र संदर्भ के रूप में ही आता है। ऑस्ट्रेलियाएकनाडाएब्रिटेन जैसे देशों में नागरिकों के कर्तव्य विशेषता उल्लेखित नहीं हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों ही सामान्य क़ानून और न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही लागू होते हैंए फ़्रान्स के संविधान में नागरिकों के दायित्वों का केवल संदर्भ मात्र है। और अमेरिका के संविधान में तो नागरिकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन देशों के नागरिक उत्तरदायी व्यवहार नहीं करते हैं। इन देशों में राष्ट्र प्रेम की भावना और उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व में समाहित है। यूगोस्लाविया तथा समाजवादी रूस के संविधान में नागरिकों के व्यवहार और देश के प्रति सम्मान और निष्ठा की भावना अत्यंत प्रखर है। आज के वर्तमान संदर्भ में भारत जैसे देश को आवश्यकता है कि अपने नागरिकों में और आनेवाली पीढ़ियों में अनुच्छेद 51। में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को मूर्त.स्वरूप देने के लिए अन्य विकल्प की तलाश करे।अगर सभ्य समाज की स्थापना के लिए नागरिकों में अनुशासन तथा उत्तरदायी व्यवहार के लिए शिक्षा के साथ कानून. सख्ती भी लाना प? तो अनुचित नहीं होगा।

शिक्षा के बिना अनुशासन और अनुशासन के बिना शिक्षा निरर्थक व्यवहार उत्पन्न करती है। एक ओर सुशिक्षित लेकिन अनुशासनहीन कनिका कपूर जैसे लोग है तो दूसरी ओर शिक्षा एवं सामाजिक कर्तव्यहीन तबलीगी जमात के अनुशासित सदस्य है और दोनों लोग ही कोरोना वायरस के वायरल होने के ?िम्मेदार है । दोनों ही अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन और अनिभिज्ञ है। शिक्षा और जागरूकता समाज में चेतना पैदा करने के दो प्रमुख साधन हैं। यदि लोग अपेक्षित सभ्य व्यवहार नहीं दिखाते हैंए तो हमारे पास ऐसे अनियंत्रित व्यवहार से निपटने के लिए सीमित विकल्प हैंए जिसमें भारतीय दंड संहिता एक उपयोगी तरीका है। उदाहरण के लिएए सार्वजनिक स्थान पर थूकना से स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। इससे कीमती निर्दोष जीवन की हानि की संभावना कई गुना ब? जाती है। लेकिन इस कृत्य के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 के अंतर्गत केवल छह महीने तक के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा ही लिखी है। इसी तरहए अफ़वाह फैलाने वाले को धारा 505 के तहत अधिकतम तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसलिए संचारी रोगोंए चिकित्सकीय आपतकालए या महामारी के संदर्भ मेंए हमें अपने सोचने के तरीकों को और प्रखर करना होगा। ताकि हम अपने व्यक्तिगतए सामूहिक तथा सार्वजनिक दायित्वों का निर्वाहन अपने और समाज के हित में बिना अव्यवस्था फैलाये कर सकें।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)